# उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

## आदेश पत्रक

**राज्यसात वाद संख्या – 67/2023**

**राज्य बनाम् वाहन संख्या–JH01Q6952 के स्वामी**

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख |
|---|---|---|

14/11/2023

**–:: आदेश ::–**

यह राज्यसात की कार्रवाई जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक–781/खनन, दिनांक–14.07.2023 द्वारा गोला थाना काण्ड संख्या–46/2023, में जप्त वाहन संख्या–JH01Q6952 में लदे पत्थर चिप्स खनिज लगभग 150 घन फीट को Jharkhand Minerals (Preventation of illegal Mining, Transportation & Storage) Rules 2017 के नियम 11 (V) के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। जिसके आलाके में संबंधित पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया एवं सुनवाई की गई।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा कि यह वाहन गैरकानूनी परिवहन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। लेकिन पुलिस द्वारा गलत प्राथमिकी दर्ज कर वाहन जप्त किया गया है। वाहन स्वामी का सिर्फ यह गलती है कि इनके द्वारा 150 घन फीट पत्थर चिप्स खनिज का कानूनी रसीद नहीं कटवाए जिसके कारण सरकारी राजस्व का हानि हुआ है। इनके लिए भवदीय के द्वारा जो भी जुर्माना लगाया जाता है, तो उसे वाहन मालिक के द्वारा भुगतान किया जाएगा। उन्होंने जुर्माना ले कर राज्यसात की कार्रवाई बन्द करते हुए वाहन को विमुक्त करने का अनुरोध किया है।

सरकारी अधिवक्ता के द्वारा कहा गया है कि उक्त वाहन का उपयोग गैरकानूनी परिवहन हेतु किया गया है, जो Jharkhand Minerals (Preventation of illegal Mining, Transportation & Storage) Rules 2017 के नियम 11 (V) का उल्लंघन प्रतीत होता है। इसलिए वाहन को राज्यसात किया जा सकता है।

सरकारी अधिवक्ता एवं द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये बहस, जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं संलग्न प्राथमिकी, जप्ती सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन संख्या–JH01Q6952 एवं उस पर लदे 150 घन फीट पत्थर चिप्स खनिज सहित Jharkhand Minerals (Preventation of illegal Mining, Transportation & Storage) Rules 2017 के नियम 11 (V) का उल्लंघन किया गया है।

अतः उक्त उल्लंघन के आलोक में जप्त वाहन संख्या–JH01Q6952 एवं उस पर लदे 150 घन फीट पत्थर चिप्स खनिज सहित को राज्यसात किया जाता है। इसकी सूचना जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ को दे। इसके साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2023.11.25 15:15:36 +05:30
Location: 192.168.0.49

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 14/11/23

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

Chandan 14/11/23

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।